थाना बिल्सी पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता, पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल दिनॉक 14-08-2023 को हुई सनसनीखेज हत्या की घटना का सफल अनावरण।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय बदायूँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी बदायूँ के नेतृत्व थाना बिल्सी द्वारा स्थानीय थाना पर दिनाक 14.8.2023 को मु0अ0स0 335/23 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्व वादिनी मोरश्री पत्नी सूरजपाल नि0 मोहल्ला न0 8 कस्बा व थाना बिल्सी जिला बदायूँ की तहरीर के आधार पर पंजीकृत हुआ जिसमे वादिनी के देवर तेजेन्द्र पुत्र डोरीलाल उम्र 42 वर्ष की रात्री में सोते समय फरसे से गर्दन काटकर हत्या कर दी गयी थी । आलाकत्ल फरसा को घटनास्थल से दिनांक 14.08.2023 को बरामद किया गया था। अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए तमामी विवेचना,निरीक्षण घटनास्थल बयान वादी व गवाहन व पतारसी सुरागरसी से अभियुक्ता मिथलेश पत्नी स्व0 तेजेन्द्र सिह नि0 मोहल्ला न0 8 कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूँ का नाम प्रकाश में आया जिसे उसके घर से समय करीब 09.50 बजे दिनांक 24.08.2023 को गिरफ्तार किया गया कड़ी पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा बताया कि मेरा पति मुझे आये दिन मारपीट कर उत्पीड़न करता रहता था तथा मेरी पुत्रवधू पर गलत निगाह रखता था। जिससे तंग आकर मैने घटना की रात मे फरसा को धार लगाया और सुबह 03 बजे के आस-पास जब वह गहरी नीद मे सो रहा था । उसी समय मैने फरसा से वार कर अपने पति तेजेन्द्र की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

नोट- घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता

मिथलेश पत्नी स्व0 तेजेन्द्र सिह नि0 मो0न0 8 कस्बा व थाना बिल्सी जिला बदायूँ

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 335/23 धारा 302 भादवि

गिरफ्तारी टीम

1.प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह,

2. उ0नि0 श्री रोहिताश सिहं,

3.का0 212 विपिन कुमार,

4.का0 2046 दीपक कुमार,

5.म0का0 2103 कौशल कुमारी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ ।

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूँ ।